

[भारत के राजपत्र असाधारण , भाग 2 , खंड 3 , उपखंड ) i (में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं/9 .2017-एकीकृत कर

नई दिल्ली , तारीख 13 अक्टूबर , 2017

सा.का.नि) . . . . . अ. (— केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ) 2017 का 12 ( ) जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 23 की उपधारा) 2 (के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ) 2017 का 13 ( की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद की सिफारिशों पर , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय) राजस्व विभाग (की अधिसूचना सं .8/2017-एकीकृत कर , तारीख 14 सितंबर , 2017 , जो भारत के राजपत्र असाधारण , भाग 2 , खंड 3 , उपखंड ) i (में , सा.की.नि .सं .1156) अ(, तारीख 14 सितंबर , 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में -

(i) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9	टैक्सटाइल) हथकरघा उत्पाद (, हाथ से बनी शालें , स्टोल और स्कार्फ	50, 58, 61, 62, 63 सहित";
----	---	---------------------------

) ii (क्रम सं .28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

"29	श्रृंखला टांका	कोई अध्याय
30	क्रिवेल , नामदा , गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

[फा. सं 349 . /74/2017-जीएसटी ) पीटी.] (।

) डा . श्रीपार्वती एस.एल.  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं .8/2017-एकीकृत कर , तारीख 14 सितंबर , 2017 भारत के राजपत्र असाधारण , भाग 2 , खंड 3 , उपखंड ) i (में सा.की.नि .सं .1156) अ(, तारीख 14 सितंबर , 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।